राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12(7)राज/वाद/16 जयपुर,दिनांक 31-01-2020

:: आदेश ::

श्री हेम सिंह, च0श्रे0 कर्मचारी कार्यालय शासन सचिव, विधि (वादकरण) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत ज्ञापन क्रमांक प.12(07)राज/वाद/16 जयपुर,दिनांक 28.08.18 के द्वारा निम्नांकित आरोप प्रसारित किया गयाः–

''श्री हेम सिंह, च0श्रे0 कर्मचारी, कार्यालय शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण), शासन सचिवालय, जयपुर दिनांक 24.07.16 से 08.08.16 तक पितृत्व अवकाश स्वीकृत करने का आवेदन प्रस्तुत कर, दिनांक 21.07.16 से बिना अवकाश स्वीकृति के कार्यालय से अनुपस्थित चल रहे हैं। आपके अवकाश प्रार्थना–पत्र के अनुसार आपको दिनांक 09.08.16 को कार्यालय में उपस्थिति प्रस्तुत करनी थी, किन्तु आप द्वारा आज दिनांक तक कार्यालय में उपस्थिति प्रस्तुत नहीं की है। इस प्रकार आप दिनांक 21.07.16 से आज दिनांक तक कार्यालय में बिना कोई अवकाश स्वीकृति के अनुपस्थित चल रहे हैं।

इस सम्बन्ध में आपको कार्यालय से बिना कोई अवकाश स्वीकृत कराये अनुपस्थित रहने के सम्बन्ध में इस विभाग के पत्र दिनांक 11.08.16, 17.10.16 के द्वारा एवं समाचार पत्र (राजस्थान पत्रिका) दिनांक 09.12.16 में सूचना प्रकाशित कर आपको कार्यालय में उपस्थित होने एवं बिना पूर्व अनुमति के कार्यालय से अनुपस्थित रहने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु आप द्वारा ना तो उपस्थिति प्रस्तुत की गयी और ना ही अपना स्पष्टीकरण इस विभाग को प्रेषित किया गया है। इस प्रकार आप जानबूझ कर कार्यालय से अनुपस्थित चल रहे हैं। आपका यह कृत्य राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 86 के अन्तर्गत दण्डनीय है।''

सी.सी.ए. नियम 16 के अन्तर्गत निर्धारित प्रकिया का पालन करते हुये श्री हेम सिंह को लिखित कथन प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया गया लेकिन उनके द्वारा लिखित कथन प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका के दिनांक 07.11.18 के अंक में प्रकाशन के माध्यम से श्री हेम सिंह को 15 दिवस में लिखित कथन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी श्री हेम सिंह ने लिखित कथन प्रस्तुत नहीं किया।

प्रकरण का अभिलेख के साथ परीक्षण किया गया एवं गुणावगुण के आधार पर विचार करने के उपरान्त आदेश दिनांक 26.02.19 के द्वारा श्री संग्राम सिंह करनावत, वरिष्ठ विधि अधिकारी, विधि (वादकरण) को जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया। जाँच अधिकारी ने सी.सी.ए. नियम 16 में निर्धारित प्रकिया का पालन करते हुये दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया लेकिन श्री हेम सिंह तामील होने के बावजूद भी जाँच कार्यवाही के दौरान उपस्थित नहीं हुयें।

जाँच अधिकारी ने सी.सी.ए. नियम 16 में निर्धारित की हुयी प्रकिया के अनुसार जाँच कार्यवाही करते हुये एवं जाँच कार्यवाही के दौरान पेश किये गये दस्तावेजात व गवाहों के बयानों के आधार पर श्री हेम सिंह के विरूद्ध लगाये गये आरोप को प्रमाणित पाया एवं जाँच रिपोर्ट दिनांक 23.07.19 को प्रस्तुत की। विभागीय पत्र दिनांक 14.08.19 के साथ जाँच रिपोर्ट की प्रति संलग्न करते हुये श्री हेम सिंह को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया, जिसके क्रम में उनके द्वारा दिनांक 03.09.19 को अभ्यावेदन प्रस्तुत करते हुये निम्नानुसार तथ्य प्रस्तुत किये गयेः–

31/1/2020

''मैं अपने पारिवारिक कारणों की वजह से उक्त पद पर रहकर कार्य करने में असमर्थ हूँ। मैं विधि एवं विधिक कार्य विभाग में चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्य करने में असमर्थ होने के कारणवश

अपनी राजी–खुशी से बिना किसी दबाव नशे पते के उक्त पद पर से मेरा इस्तीफा स्वीकार करने की कृपा करें।'' श्री हेम सिंह के द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये विभागीय पत्र दिनांक 30.09.19 व 13.11.19 के द्वारा उन्हें व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया लेकिन श्री हेम सिंह व्यक्तिगत सुनवाई के लिये उपस्थित नहीं हुये।

विवेचनः –

प्रकरण पर उपलब्ध तथ्यों एवं जाँच कार्यवाही के दौरान पेश किये गये दस्तावेजात तथा गवाहों के बयानों के आधार पर यह स्पष्ट है कि आदेश दिनांक 21.08.14 के द्वारा श्री हेम सिंह को निर्धारित शर्तों के साथ च0श्रे0 कर्मचारी के पद पर अनुकम्पात्मक नियुक्ति दी गयी, जिसके क्रम में श्री हेम सिंह ने दिनांक 01.09.14 को निदेशक, राजकीय (वादकरण) विभाग, जयपुर के समक्ष अपनी उपस्थिति प्रस्तुत की, लेकिन श्री हेम सिंह दिनांक 21.07.16 से बिना अवकाश स्वीकृत करवाये कार्यालय से स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थित हो गये, इसके लिये उन्हें पत्र दिनांक 11.08.16 के द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया, लेकिन उनके द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण उन्हें पत्र दिनांक 17.10.16 के द्वारा कार्यालय में उपस्थित होने व स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु पुनः लिखा गया, लेकिन श्री हेम सिंह द्वारा कार्यालय में उपस्थिति नहीं दी गयी। इस कारण दैनिक समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका के दिनांक 09.12.16 के अंक में प्रकाशन के माध्यम से दिनांक 15.12.16 तक कार्यालय में उपस्थित होने हेतु लिखा गया, लेकिन श्री हेम सिंह उपस्थित नहीं हुये।

श्री हेम सिंह, उन्हें तामील हो जाने के उपरान्त भी जाँच अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हुये। पी.डब्ल्यू 1 व प्रदर्श पी–10 के आधार पर यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित पाया जाता है कि श्री हेम सिंह दिनांक 21.07.16 से बिना अवकाश स्वीकृत करवाये स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थित हैं एवं वे राजकीय सेवा करने के इच्छुक नहीं है, जैसा कि उनके अभ्यावेदन दिनांक 03.09.19 में अंकित किये गये तथ्यों से स्पष्ट है। उक्त स्थिति में श्री हेम सिंह को सेवा में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है।

अतः प्रकरण पर उपलब्ध उक्त तथ्यों के आधार पर श्री हेम सिंह के विरूद्ध बिना पूर्व अनुमति के स्वेच्छापूर्वक कार्यालय से अनुपस्थित रहने का लगाया गया आरोप प्रमाणित पाये जाने के परिणामस्वरूप श्री हेम सिंह, च0श्रे0 कर्मचारी कार्यालय शासन सचिव, विधि (वादकरण) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को सेवा से पदच्यूत (Dismissal from service) किये जाने के दण्ड से एतद्द्वारा दण्डित किया जाता है।

ह0

(हुकम सिंह राजपुरोहित)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि/शासन सचिव, विधि।
2. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. लेखा शाखा/सहायक लेखाधिकारी–I, वादकरण।
4. श्री हेम सिंह पुत्र स्व. श्री मान सिंह, प्लॉट नं.6, लक्ष्मी विहार कॉलोनी, सिरसी रोड़, मीनावाला, जयपुर।
5. संस्थापन शाखा।
6. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेब साईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

31/1/2020

(हुकम सिंह राजपुरोहित)
शासन सचिव, विधि